

# अग्निशमन सेवा मुख्यालय, झारखण्ड, राँची ।

दिनांक-22.05.2023

सेवा में,

**MS GEETANJALI ESTATE PVT LTD,  
OM SHRI TOWERS,  
TIWARI CHOWK NEAR RAMKRISHNA MISSION DEOGHAR.**

**विषय:- मौजा-श्यामगंज, प्लॉट नं0-254, खाता नं0-19/3398/1, वार्ड नं0-16, थाना नं0-413, जिला-देवघर में प्रस्तावित बहुमंजिली आवासीय एवं व्यावसायिक भवनों के निर्माण हेतु अग्नि-सुरक्षात्मक सलाह ।**

उपर्युक्त विषयक ऑन-लाईन भेजे गये प्लान के अनुसार प्रस्तावित बहुमंजिली आवासीय एवं व्यावसायिक भवनों के स्थल की भौतिक जाँच प्रभारी अग्निशामालय पदाधिकारी, देवघर के माध्यम से प्रस्तावित स्थल का भौतिक निरीक्षण कराया गया । उन्होंने अपने ज्ञापांक-373 दिनांक-11.05.2023 के माध्यम से समर्पित स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन एवं उसमें की गई अनुशंसा के आलोक में उक्त प्रस्तावित भवनों के निर्माण हेतु निम्नांकित अग्नि-सुरक्षात्मक सलाह दिये जाते हैं :-

1. प्रस्तावित प्रत्येक भवनों के परिसर के सामने वाले भाग में कम से कम 75,000-75,000 लीटर की क्षमता वाले अंडरग्राउण्ड स्टैटिक वाटर टैंक का निर्माण ऐसे स्थान पर कराया जाय, जहाँ अग्निशमन वाहन आसानी से पहुँचकर पानी ले सके ।
2. किसी भी आकस्मिकता की स्थिति में इस टैंक से अग्निशमन वाहनों को पानी लिये जाने हेतु ड्रॉ-आउट कनेक्शन दिये जाने की व्यवस्था की जाय ।
3. प्रत्येक भवनों में अग्निशमन कार्य हेतु कम से कम बीस-बीस हजार लीटर क्षमता वाले ओभरहेड वाटर टैंक का निर्माण कराया जाय ।
4. प्रत्येक भवनों के ओभरहेड टैंक से जुड़ा हुआ दोनों स्टेयरकेश लॉबियों में 150mm डायामेटर वाले एक वेट राईजर कम डाउन कमर सिस्टम का संस्थापन कराया जाय, जिसमें प्रत्येक तलों पर 30 मी0 लम्बा होज रील होज, 63 MM डायामेटर का डिलिवरी आउटलेट तथा दो-दो अदद डिलिवरी होज एवं एक-एक अदद ब्रांच सहित एक-एक होज बॉक्स का संस्थापन कराया जाय ।
5. प्रत्येक भवनों के बेसमेन्ट सहित पूरे व्यावसायिक तलों को स्वचालित स्प्रिंकलर से सुरक्षित किया जाय । यह सुनिश्चित किया जाय कि स्प्रिंकलर के एक हेड से दूसरे की दूरी मानक से अधिक न हो एवं सभी व्यावसायिक तलों को Smoke Detection System से सुरक्षित किया जाय ।
6. अग्निशमन कार्य हेतु एक-एक पम्प हाउस का निर्माण कराया जाय, जिसमें 2280 Lpm क्षमता का एक-एक फायर पम्प का संस्थापन कराया जाय ।
7. 900 Lpm क्षमता वाले एक-एक टेरस पम्प का संस्थापन कराया जाय ।
8. 180 Lpm क्षमता वाले एक-एक जॉकी पम्प का संस्थापन कराया जाय ।
9. समान क्षमता का वैकल्पिक पावर चालित एक पम्प आरक्षित अवस्था में रखा जाय ।
10. इन सभी पम्पों को स्वतंत्र विद्युत व्यवस्था से जोड़कर रखा जाय ।
11. पंपिंग सिस्टम पॉजिटिव सक्शन वाले रहेंगे ।
12. उपर्युक्त भवनों के प्रत्येक लिफ्ट को फायर लिफ्ट के रूप में निर्मित किया जाय, जिसकी क्षमता 544 के0जी0 से कम की न हो । इसे स्वतंत्र रूप से वैकल्पिक पावर के माध्यम से जोड़कर रखे जाने की व्यवस्था की जाय । सीढ़ियों को Enclosed Staircase के रूप में निर्मित किया जाय ।
13. व्यावसायिक तलों को स्टेयरकेश लॉबी में कम से कम दो घंटा अग्नि-रोधी फायर चेक डोर का संस्थापन कराया जाय ।
14. सेटबैक एरिया NBC मानक के अनुरूप होना चाहिए ।
15. प्रत्येक भवनों के सतही तल मुख्य प्रवेश द्वार के पास फोरवेज फायर सर्विस इनलेट का संस्थापन कराया जाय ।

16. Exit & Leading to Exit Way को कभी भी किसी प्रकार से बाधित नहीं किया जाय। सुनिश्चित किया जायेगा कि किसी भी स्थिति में ट्रेवेल डिसटेंस 30 मीटर से अधिक नहीं हो।
17. प्रत्येक भवनों की विद्युत व्यवस्था किसी लाइसेंसी इलेक्ट्रीशियन के माध्यम से ही कराया जाय।
18. मुख्य स्टेयरकेश लॉबी के प्रत्येक तलों पर 06 के0जी0 क्षमता के 02-02 अदद डी0सी0पी0 अग्निशमन यंत्र रखा जाय।
19. मेन इलेक्ट्रिकल स्वीच बोर्ड को Fire Supression System से सुरक्षित किया जाय।
20. बिजली के मेन स्विच बोर्ड के पास 04.5 के0जी0 क्षमता के 02-02 अदद सी0ओ0टू0 तथा 06 के0जी0 क्षमता के 02-02 अदद डी0सी0पी0 अग्निशमन यंत्र रखे जाने की व्यवस्था की जाय।
21. प्रत्येक भवनों में Manually Operated Electronic Fire Alarm लगाये जाने की व्यवस्था की जाय, जिसका कॉल प्वाइंट प्रत्येक तल पर स्टेयरकेश लॉबी में हो। इसका हूटर इतना शक्तिशाली हो कि किसी भी आकस्मिकता की स्थिति में इसकी आवाज पूरे भवन में स्पष्ट रूप से सुनाई दे।
22. प्रत्येक भवनों में मानक के अनुरूप तड़ित चालक लगाये जाने की व्यवस्था की जाय।
23. प्रत्येक भवनों में दो सीढ़ी होनी चाहिए एवं सीढ़ियों की चौड़ाई NBC मानक के अनुरूप होनी चाहिए।
24. प्रत्येक भवनों को उपयोग में लाये जाने के पूर्व भवनों में संस्थापित किये गये अग्नि-सुरक्षात्मक व्यवस्था का विस्तृत प्लान इस कार्यालय को उपलब्ध कराते हुए जाँच प्रतिवेदन अवश्य प्राप्त कर लेंगे साथ ही आवेदक अनापत्ति प्रमाणपत्र प्राप्त करने से पूर्व पूरी तरह भरा हुआ सेल्फ अप्रेजल चेक लिस्ट एवं नोटरी पब्लिक के द्वारा जारी एक शपथ पत्र समर्पित करेंगे कि अग्निशमन सेवा मुख्यालय के द्वारा दिये गये सुझावों का अनुपालन पूरी तरह करा लिया गया है।
25. अग्नि-सुरक्षा के दृष्टिकोण से दिये गये सुझावों के अनुपालन की जाँच इस कार्यालय से कराये जाने एवं जाँच में संतोषप्रद पाये जाने के पश्चात ही अनापत्ति प्रमाणपत्र निर्गत किये जायेंगे।
26. भवनों के किसी भी भाग में बाद में यदि Plan अथवा Nature Of Occupancy में बदलाव किया जाता है तो इस कार्यालय को सूचित करके Clearance अवश्य प्राप्त करेंगे।
27. राष्ट्रीय भवन संहिता भाग IV के नियम 6.1 एवं 6.5 में वर्णित सुरक्षा व्यवस्थाओं का दृढ़ता से अनुपालन किया जाय।

**JAGJEEWAN  
RAM**

Digitally signed by JAGJEEWAN RAM  
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF JHARKHAND, ou=HOME  
JAIL AND DISASTER MANAGEMENT,  
2.5.4.20=6e18ddf6a747613d2f4c403b5001134ec2902b6bf  
90be3cc4ac5ffdd851f54d7, postalCode=834002,  
st=Jharkhand,  
serialNumber=19585870ee67dbaf143b636d6f0c97a7bc8a  
01d90f3ec025de5383159f431a70, cn=JAGJEEWAN RAM  
Date: 2023.05.22 17:58:15 +05'30'

**(जगजीवन राम)**

प्रभारी अपर राज्य अग्निशमन पदाधिकारी,  
झारखण्ड, राँची।